

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. सभी अधिकारी मुख्यालय।
2. सभी अधिकारी क्षेत्रीय श्रम कार्यालय, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था०/03/2021 28455-64


दिनांक: 08/12/2021

विषय:- एल०एल०बी० की डिग्री दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बंध में आपको सूचित किया जाता है कि विभाग में कानूनी सहायक के दो पद स्वीकृत है, जिसे विभागीय नियमों अनुसार फीडर काडर पदों जैसे कि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/आंकडा सहायक जिसके पास 3 वर्ष का अनुभव तथा विभागीय नियमों में किये गये प्रावधान अनुसार शैक्षणिक योग्यता एल०एल०बी० हो का नाम कानूनी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विचारा जा सकता है। अब उक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। जिस पर कार्यालय के संज्ञान में आया है कि विभाग में कार्यरत कुछ सहायको/वरिष्ठ आशुलिपिको/आंकडा सहायको द्वारा विभाग से एल०एल०बी० की डिग्री करने की अनुमति मांगी गई थी, परन्तु उन द्वारा अभी तक कार्यालय रिकार्ड अनुसार कार्यालय में उक्त डिग्री जमा नहीं करवाई गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत सहायको/वरिष्ठ आशुलिपिको/आंकडा सहायको जिन द्वारा अनुमति प्राप्त कर एल०एल०बी० की डिग्री जमा नहीं करवाई गई है से उक्त डिग्री प्राप्त करके 15 दिन के अन्दर- मुख्यालय में भिजवाये।


अधीक्षक (स्था०)

कृते: श्रम अयुक्त, हरियाणा।